

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/सहा.आवा.अधि./पदस्थापन/2023/1081

दिनांक :- 25/08/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंषा पर निम्नांकित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक आवासन अधिकारी के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध (वेतनमान 2017 के लेवल एल-12 में वेतन श्रृंखला 44300-140100) पदोन्नत राजसेवकों का नवपदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री राजवीर सिंह चौधरी	वृत्त-प्रथम, जयपुर	मुख्य सम्पदा प्रबंधक प्रकोष्ठ
2	श्री मदन मोहन चौधरी	वृत्त-प्रथम, जयपुर	वृत्त-प्रथम, जयपुर
3	श्री हरी ओम अग्निहोत्री	वृत्त-तृतीय, जयपुर	वृत्त-तृतीय, जयपुर
4	श्री सीताराम गोठवाल, अजा	आर.टी.आई. प्रकोष्ठ	सतर्कता प्रकोष्ठ
5	श्री कन्हैया लाल मीणा, अजजा	वृत्त-द्वितीय, जयपुर	वृत्त-द्वितीय, जयपुर

उपरोक्त पदोन्नत राजसेवकों में से क्रम संख्या 02, 03 पर अंकित राजसेवकों को 01 वर्ष एवं क्रम संख्या- 05 पर अंकित राजसेवक को 02 वर्ष की कार्यानुभव में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ए के अन्तर्गत किया जायेगा।

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नही देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नही लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज0 आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/अति. प्रशा.अधि./पदस्थापन/2023/1082

दिनांक :- 25/08/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंषा पर निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारी को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2022-23/2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध (वेतनमान 2017 के लेवल एल-11 में वेतन श्रृंखला 37800-119700) पदोन्नत राजसेवकों का नवपदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

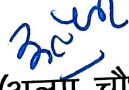
क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1.	श्री भगवती प्रसाद	एवीएसएलसी, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	खण्ड-विद्युत, जयपुर
2.	श्री संजय झा	खण्ड-भीलवाडा	खण्ड-भीलवाडा
3.	श्री उमेश कुमार शर्मा	वृत्त-द्वितीय, जयपुर	वृत्त-द्वितीय, जयपुर
4.	श्री विद्याधर सिंह झाझडिया	वृत्त-द्वितीय, जयपुर	खण्ड-कोचिंग हब
5.	श्री अब्दुल एम कददुस	खण्ड-बारह, जयपुर	कम्प्यूटर प्रकोष्ठ
6.	श्री विनोद कुमार सिंघल	कार्मिक प्रकोष्ठ	वृत्त-द्वितीय, जयपुर
7.	श्री मनोज सोनी	गोपनीय प्रकोष्ठ	गोपनीय प्रकोष्ठ
8.	श्रीमती प्रीति चौधरी	खण्ड-उदयपुर	वृत्त-उदयपुर
9.	श्री संजय शर्मा	वृत्त-प्रथम, जयपुर	वृत्त-प्रथम, जयपुर (श्री राजवीर चौधरी के स्थान पर)
10.	श्री धर्मराम भाटी	मुख्य सम्पदा प्रबंधक प्रकोष्ठ	मुख्य सम्पदा प्रबंधक प्रकोष्ठ
11.	श्री मोहन सिंह	खण्ड-तृतीय, जयपुर	वृत्त-प्रथम, जयपुर (श्री एम.एम.चौधरी के स्थान पर)
12.	श्री आई.आर.नियाजी	खण्ड-नवम, जयपुर	पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण प्रकोष्ठ
13.	श्री हेमेश माथुर	वृत्त-द्वितीय, जयपुर	वृत्त-द्वितीय, जयपुर
14.	श्री राजेश कुमार मरोठा, अजा	वृत्त-कोटा	वृत्त-कोटा
15.	श्री राम लाल मीणा, अजजा	वृत्त-प्रथम, जयपुर	वृत्त-तृतीय, जयपुर

उपरोक्त पदोन्नत राजसेवकों में से क्रम संख्या 02 से 13 पर अंकित राजसेवकों को 02 वर्ष की कार्यानुभव में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ए के अन्तर्गत किया जायेगा।

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/सहा. प्रशा.अधि./पदस्थापन/2023/1083

दिनांक :- 25/08/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंषा पर निम्नांकित कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2020-21/2022-23/2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध (वेतनमान 2017 के लेवल एल-10 में वेतन श्रृंखला 33800-106700) पदोन्नत राजसेवकों का नवपदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री राकेश व्यास पुत्र श्री विष्णुदत्त व्यास	खण्ड-षष्ठम, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन मुख्य सम्पदा प्रबंधक प्रकोष्ठ)	खण्ड-षष्ठम, जयपुर
2	श्री रघुवीर सिंह राठौड	खण्ड-चतुर्थ, जोधपुर	खण्ड-तृतीय, जोधपुर
3	श्री सुरजन सिंह	खण्ड-भिवाडी	खण्ड-अलवर
4	श्री विजेन्द्र सिंह शेखावत	अध्यक्ष प्रकोष्ठ	कार्मिक प्रकोष्ठ
5	श्री. बाबू लाल बिश्नोई	खण्ड-प्रथम, जोधपुर (उपखण्ड-बाडमेर)	खण्ड-प्रथम, जोधपुर (उपखण्ड-बाडमेर)
6	श्री प्रभू नारायण शर्मा	खण्ड-द्वितीय, जयपुर	खण्ड-द्वितीय, जयपुर
7	श्री श्रीशरण शर्मा	निरीक्षण प्रकोष्ठ	निरीक्षण प्रकोष्ठ
8	श्री बाबू सिंह तँवर	खण्ड-प्रथम, जोधपुर	खण्ड-प्रथम, जोधपुर
9	श्रीमती आशा पुरोहित	वृत्त-द्वितीय, जोधपुर	वृत्त-प्रथम, जोधपुर
10	श्री मोहम्मद मोसिफ	वृत्त-कोटा	खण्ड-कोटा
11	श्री दिनेश कुमार टिंकर	खण्ड-अजमेर	खण्ड-भीलवाडा
12	श्री राकेश डीगवाल, अजा	कम्प्यूटर प्रकोष्ठ	कम्प्यूटर प्रकोष्ठ
13	श्री राकेश देवतवाल, अजा	खण्ड-तेरह, जयपुर	खण्ड-तेरह, जयपुर
14	श्री रोहित चौहान, अजा	वृत्त-द्वितीय, जोधपुर	वृत्त-द्वितीय, जोधपुर
15	श्री गणेश नारायण रैगर, अजा	खण्ड-प्रथम, जयपुर	कार्मिक प्रकोष्ठ
16	श्री छाजू राम मीणा, अजजा	नगरीय विकास विभाग	वृत्त-प्रथम, जयपुर
17	श्री मुकेश कुमार मीणा, अजजा	पत्र प्राप्ति/प्रेषण प्रकोष्ठ	पत्र प्राप्ति/प्रेषण प्रकोष्ठ

उपरोक्त पदोन्नत राजसेवकों में से क्रम संख्या 14, 15 एवं 17 पर अंकित राजसेवकों को 01 वर्ष की कार्यानुभव में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ए के अन्तर्गत किया जायेगा।

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कौमिक प्रबंधक

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/कनिष्ठ सहायक/पदस्थापन/2023/1084

दिनांक :- 25/08/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंषा पर निम्नांकित हैल्पर्स को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2019-20/2020-21/2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध (वेतनमान 2017 के लेवल एल-05 में वेतन श्रृंखला 20800-65900) पदोन्नत राजसेवकों का नवपदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री गिरधारी सिंह राजपूत	खण्ड-प्रथम, जोधपुर	खण्ड-प्रथम, जोधपुर
2	श्री चन्द्र प्रकाश बोहरा	सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय पर	सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय पर
3	श्री भीमा राम नाई	उपखण्ड-पाली	उपखण्ड-पाली
4	श्री देवी सहाय सामोदा	विशेषाधिकारी प्रकोष्ठ	विशेषाधिकारी प्रकोष्ठ
5	श्री गिरधारी लाल	विपणन प्रकोष्ठ	विपणन प्रकोष्ठ
6	श्री सुन्दर लाल जाट	पीएचई-प्रथम, जयपुर	पीएचई-प्रथम, जयपुर
7	श्री भगवान दास	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक प्रकोष्ठ	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक प्रकोष्ठ
8	श्री मानसिंह	माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के निवास कार्यालय पर	कार्मिक प्रकोष्ठ
9	श्री अकरम खान	खण्ड-कोटा	खण्ड-कोटा
10	श्री लवलेश ओझा	वृत्त-कोटा	वृत्त-कोटा

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/जमादार/पदस्थापन/2023/1085

दिनांक :- 25/08/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंषा पर निम्नांकित हैल्यर्स को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर जमादार के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध (वेतनमान 2017 के लेवल एल-02 में वेतन श्रृंखला 17900-56800) पदोन्नत राजसेवक का नवपदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री रामचरण, अजा	उप आवासन आयुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण) प्रकोष्ठ	उप आवासन आयुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण) प्रकोष्ठ

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज0 आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/नगर नियो.सहा./पदस्थापन/2023/1086

दिनांक :- 25/08/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंषा पर निम्नांकित वरिष्ठ प्रारूपकार को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर नगर नियोजन सहायक/वास्तुविद सहायक के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध (वेतनमान 2017 के लेवल एल-11 में वेतन श्रृंखला 37800-119700) पदोन्नत राजसेवक का नवपदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री सत्य प्रकाश वर्मा	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक प्रकोष्ठ	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक प्रकोष्ठ

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज0 आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/वरि.प्रारूपकार/पदस्थापन/2023/1087

दिनांक :- 25/08/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंषा पर निम्नांकित कनिष्ठ प्रारूपकार को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध (वेतनमान 2017 के लेवल एल-10 में वेतन श्रृंखला 33800-106700) पदोन्नत राजसेवक का नवपदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री ईश्वर लाल कुमावत	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक प्रकोष्ठ	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक प्रकोष्ठ

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज0 आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/अति.निजी सचिव/पदस्थापन/2023/1088

दिनांक :- 25/08/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंषा पर निम्नांकित निजी सहायक को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध (वेतनमान 2017 के लेवल एल-12 में वेतन श्रृंखला 44300-140100) पदोन्नत राजसेवक का नवपदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री गिरिश कुमार आसूदानी	अति. मुख्य अभियन्ता -प्रथम, जयपुर	अति. मुख्य अभियन्ता -प्रथम, जयपुर
2	श्री मनोज कुमार अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता (मु) प्रकोष्ठ	मुख्य अभियन्ता (मु) प्रकोष्ठ
3	श्री राजेश कुमार जैन	पी.एफ.एवं पेंशन प्रकोष्ठ	पी.एफ.एवं पेंशन प्रकोष्ठ
4	श्री विक्रम सिंह राठौड	वृत्त-बीकानेर	भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रकोष्ठ (उप सचिव के अधीन)

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

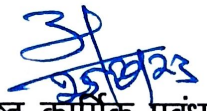
पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज0 आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/सहा.लेखा.ग्रेड-II/पदस्थापन/2023/1089

दिनांक :- 25/08/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंषा पर निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध (वेतनमान 2017 के लेवल एल-11 में वेतन श्रृंखला 37800-119700) पदोन्नत राजसेवक का नवपदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री मेघराज रंगा	खण्ड-बीकानेर	खण्ड-नागौर
2	नरेन्द्र कृष्ण लोहरा	खण्ड-द्वितीय, जोधपुर	वृत्त-द्वितीय, जोधपुर
3	श्री राजू पुरोहित	खण्ड-प्रथम, जोधपुर	खण्ड-चतुर्थ, जोधपुर
4	श्री ऋषि व्यास	खण्ड-प्रथम, जोधपुर	खण्ड-प्रथम, जोधपुर
5	श्री संजीव कुमार दीक्षित	रुडसिकों, जयपुर	रुडसिकों, जयपुर
6	श्री जय वल्लभ व्यास	खण्ड-पीएचई, जोधपुर	खण्ड-द्वितीय, जोधपुर
7	श्री मोहम्मद आजम हुसैन	खण्ड-दशम, जयपुर	खण्ड-दशम, जयपुर
8	श्री विजय सिंह	खण्ड-प्रथम, जयपुर	खण्ड-प्रथम, जयपुर
9	श्रीमती आशा शर्मा	खण्ड-प्रथम, जयपुर	वसूली प्रकोष्ठ (मु.)
10	श्री नवीन शर्मा	वृत्त-प्रथम, जयपुर	वृत्त-प्रथम, जयपुर
11	श्री नितिन कुमावत	खण्ड-पंचम, जयपुर	लागत प्रकोष्ठ (मु.)
12	श्री निशान्त बुलीवाल	वृत्त-तृतीय, जयपुर	वृत्त-तृतीय, जयपुर
13	श्री पवन कुमार शर्मा	खण्ड-बारह, जयपुर	खण्ड-चतुर्थ, जयपुर
14	श्री संजय कुमार सिंघल	वृत्त-द्वितीय, जयपुर	वृत्त-द्वितीय, जयपुर (खण्ड-नवम, जयपुर में अतिरिक्त कार्य)
15	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	खण्ड-कोटा	खण्ड-कोटा
16	श्री दिनेश राजपूत	वृत्त-तृतीय, जयपुर	वृत्त-तृतीय, जयपुर
17	श्री हिमांशु माथुर	खण्ड-कोचिंग हब	खण्ड-कोचिंग हब
18	श्री प्रवीण शर्मा	खण्ड-अलवर	खण्ड-अलवर
19	श्री शेर सिंह	खण्ड-पंचम, जयपुर	खण्ड-पंचम, जयपुर
20	श्री हेमन्त तँवर	खण्ड-तेरह, जयपुर	खण्ड-द्वितीय, जयपुर
21	श्रीमती गरिमा शर्मा	खण्ड-द्वितीय, जयपुर	पेंशन प्रकोष्ठ (मु.)

कल

22	श्रीमती कविता शर्मा	वृत्त-द्वितीय, जयपुर	खण्ड-षष्ठम, जयपुर
23	कुमारी निशा सिंह	खण्ड-अलवर	वृत्त-अलवर
24	श्री रामकेश मीणा, अजजा	वृत्त-प्रथम, जयपुर	खण्ड-बारह, जयपुर
25	श्री खालिद खान	वृत्त-कोटा	वृत्त-कोटा
26	श्री मधुर मलिक	खण्ड-विद्युत, जयपुर	खण्ड-विद्युत, जयपुर
27	श्री प्रेम कुमार निर्मल	वित्त प्रकोष्ठ	वित्त प्रकोष्ठ (संकलन प्रकोष्ठ में अतिरिक्त कार्य)
28	श्री कमलेश सैनी	वृत्त-अलवर	वृत्त-अलवर (खण्ड-भरतपुर में अतिरिक्त कार्य)
29	श्रीमती मुक्ता अरोडा	भुगतान प्रकोष्ठ	भुगतान प्रकोष्ठ
30	श्री देवानन्द आचार्य	वृत्त-बीकानेर	खण्ड-बीकानेर
31	श्री सौरभ शर्मा	वृत्त-कोटा	खण्ड-अजमेर
32	श्री जितेन्द्र सिंह चौहान	खण्ड-तेरह, जयपुर	खण्ड-तेरह, जयपुर
33	श्री घनश्याम मीणा, अजजा	खण्ड-तृतीय, जयपुर	खण्ड-तृतीय, जयपुर

उपरोक्त पदोन्नत राजसेवकों को 02 वर्ष की कार्यानुभव में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ए के अन्तर्गत किया जायेगा।

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ कार्यालय प्रबंधक

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/कनिष्ठ लेखाकार/पदस्थापन/2023/1090

दिनांक :- 25/08/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 18.08.2023 की अभिशंषा पर निम्नांकित कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध (वेतनमान 2017 के लेवल एल-10 में वेतन श्रृंखला 33800-106700) पदोन्नत राजसेवकों का नवपदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री महेश शर्मा पुत्र स्व. श्री हरी शंकर शर्मा	खण्ड-पीएचई, प्रथम, जयपुर	खण्ड-पीएचई, प्रथम, जयपुर (जीएसटी में अतिरिक्त कार्यभार)
2	श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिओम शर्मा	वृत्त-प्रथम, जयपुर	वृत्त-प्रथम, जयपुर
3	श्री गिरराज पुरोहित	वृत्त-बीकानेर	वृत्त-बीकानेर
4	श्री जसवन्त सिंह राठौड़	खण्ड-भीलवाड़ा	खण्ड-उदयपुर
5	श्री विपिन कुमार नैयर	भुगतान प्रकोष्ठ	भुगतान प्रकोष्ठ
6	श्री अनूप कुमार मिश्रा	भुगतान प्रकोष्ठ	भुगतान प्रकोष्ठ
7	श्री गिरीराज शर्मा	खण्ड-बारह, जयपुर	खण्ड-बारह, जयपुर
8	श्री महावीर बागवान	वृत्त-प्रथम, जयपुर	वृत्त-प्रथम, जयपुर
9	श्री सुमित व्यास	वृत्त-द्वितीय, जोधपुर	खण्ड-तृतीय, जोधपुर
10	श्री शुभम कुमार योगी	वृत्त-अलवर	खण्ड-अलवर
11	श्री उग्रसैन	पेंशन प्रकोष्ठ	खण्ड-हनुमानगढ़
12	श्री दिवेश कुमार जैन	पेंशन प्रकोष्ठ	भण्डार प्रकोष्ठ (मु.)

उपरोक्त पदोन्नत राजसेवकों में से क्रम संख्या 08 एवं 09 पर अंकित राजसेवकों को 01 वर्ष एवं क्रम संख्या 10 से 12 पर अंकित राजसेवकों को 02 वर्ष की कार्यानुभव में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ए के अन्तर्गत किया जायेगा।

उक्त पदोन्नत पद पर संबंधित राजसेवक द्वारा 07 दिवस में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि वह उक्त पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तथा इस संबंध में उनकी ओर से पदोन्नति फोर-गो (Forego) मानी जावेगी।

पदोन्नत पद के नकद लाभ-परिलाभ नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अल्पा चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कर्मिक प्रबंधक